फाइल नं0-71-1002(002)/25/2022

114/2022/1/232507/2022

प्रेषक,

दुर्गा शक्ति नागपाल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ/यू0पी0यू0एम0एस0, सैफई।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया, आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ/एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ/जी0आई0एम0एस0, ग्रेटर नोएडा/एस0एस0पी0एच0 एण्ड पी0जी0टी0आई0 नोएडा।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा/मेरठ/प्रयागराज/कानपुर/झांसी/गोरखपुर /अम्बेडकरनगर/आजमगढ़/सहारनपुर/कन्नौज/जालौन/बॉदा/बदायूँ।
5. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच/शाहजहॉपुर/बस्ती/अयोध्या /फिरोजाबाद /एटा/हरदोई/सिद्धार्थनगर/देवरिया/गाजीपुर/मिर्जापुर/प्रतापगढ़/फतेहपुर/जौनपुर।
6. निदेशक, हृदय रोग संस्थान कानपुर/जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांक 07 नवम्बर, 2022**

विषयः- राज्य कर्मचारियो तथा पेशनर्स को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए पं0 दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि राज्य कर्मचारियो तथा पेशनर्स को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए पं0 दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2022/10/पांच-1-22-19जी/2016, दिनांक 07.01.2022 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है। इस सम्बन्ध में पं0 दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना को चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन चिकित्सा विश्वविद्यालयों/चिकित्सा संस्थानों/मेडिकल कालेजो/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में लागू किया जाना है।

2- उक्त दिशा-निर्देशो के क्रम में कैशलेस चिकित्सा योजना को चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन मेडिकल कालेजों/चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्वालयों में लागू किये जाने हेतु एस0ओ0पी0 का विवरण निम्नानुसार है:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- पं0 दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना को क्रियान्वित किये जाने के क्रम में निम्नवत् बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:-

A. लाजिस्टिक से सम्बन्धित व्यवस्था-

1- शासनादेश दिनॉक 07.01.2022 के बिन्दु संख्या-4.3 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार कर्मचारियों का कार्ड बनाये जाने हेतु साचीज द्वारा विस्तृत एस0ओ0पी0 जारी की जायेगी।

2- कालेज स्तर पर हेल्प डेस्क बनाया जाय-

2.1- काउन्टर बनाये जाने (जिसमें टेबल, चेयर, कम्प्यूटर, स्टेशनरी, इन्टरनेट सम्मिलित होगी), की व्यवस्था सम्बन्धित कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

2.2- काउन्टर पर KIOSK की व्यवस्था- सम्बन्धित कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा बेडों की संख्या, पेशेन्ट लोड, स्ट्रैटिजिट लोकेशन के आधार पर संख्या का निर्धारण किया जाए तथा यह प्रयास किया जाए कि उक्त संख्या 05 से अधिक न हो।

2.3- मानव संशाधन- कम्प्यूटर आपेरटर आदि के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार संख्या एवं तदनन्तर चयन सम्बन्धित कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। इनका भुगतान आउटसोर्सिंग मद से किया जायेगा।

3- मेडिकल कालेजों/चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्वालय स्तर पर मॉनीटरिंग सेल बनाया जाय (जिसमें न्यूनतम 04 मैनपावर द्वारा 24X7X365 के लिए सेवाएं दी जायेगी।)

3.1- मेडिकल कालेजों/चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्वालयों का रजिस्ट्रेशन प0 दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा योजना वेव पोर्टल पर कराया जाए- (साचीज इसके लिए एस0ओ0पी0 ट्रेनिंग एवं लाजिस्ट्रीक व्यवस्था उपलब्ध करायेंगे।

3.2- नोडल आफिसर द्वारा अस्पताल की लेखा शाखा अथवा किसी अन्य शाखा के किसी कार्मिक को दीनदयाल मित्र बनाया जाए।

3.3- नोडल आफिसर, क्लर्क, दीनदयाल मित्र, कम्प्यूटर आपरेटर आदि की ट्रेनिंग करायी जाए- (ट्रेनिंग की जिम्मेदारी साचीज की होगी।)

4- धनराशियों के हस्तानान्तरण हेतु पं0 दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा लेखाधिकारी अथवा अन्य अधिकारी को नामित किया जाय।

5- आनलाइन सिस्टम स्थापित किया जाए, (इसके लिए साचीज पोर्टल पर आप्शन क्रियेट करेंगे।)

5.1. स्टेट हेल्थ कार्ड बनाया जाए, जिसमें कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों से सम्बन्धित डाटा संरक्षण एवं रख-रखाव की व्यवस्था सम्मिलित हो। (इस कार्य हेतु 01 टाइम कैपिटल ग्रास साचीज/कालेज के द्वारा नोडल आफिसर को उपलब्ध कराया जाय।

5.2. योजना पोर्टल का निर्माण एवं रख-रखाव साचीज द्वारा किया जायेगा।

B. वित्तीय व्यवस्था-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1- लाभार्थियों के इलाज के लिये राजकीय कालेजों में दिये जाने वाले पैकेज की दरों के निर्धारण की आवश्यकता नही है।

1.1 उत्तर प्रदेश के सभी राजकीय संस्थानों में प्रचलित दरें ही इस योजना के लिए लागू की जाए।

2- चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय तथा सभी संस्थानों/राजकीय मेडिकल कालेज/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में पृथक बैंक खाता कालेज के वित्त विभाग द्वारा खोला जाए। खाता संचालन हेतु नोडल अधिकारी अस्पताल लेखा शाखा अथवा किसी अन्य शाखा से नामित किया जाए, जिसकी समस्त वित्तीय लेन-देन की जिम्मेदारी होगी।

3- लाभार्थी के उपचार में जो धनराशि मेडिकल कालेजों/चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्वालयों द्वारा व्यय की जायेगी, उसे मेडिकल कालेजों/चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्वालयों की आय माना जायेगा- (जैसा कि किसी भी अन्य श्रेणी के मामले में होता है।)

3.1- वर्तमान में राजकीय मेडिकल कालेजों को प्राप्त होने वाली आय को राजकोष में जमा किया जाता है। यही व्यवस्था पं0 दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा योजना में प्रस्तुत आय के लिए भी लागू होगी।

3.2- एच0आर0एफ0 एवं आई0आर0एफ0 की भांति केवल स्वशासी संस्थानों में प्राप्त आय के व्यय पर पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

3.3- संस्थानों में पूर्व से ही मरीजों द्वारा लिये गये शुल्क को आय माना जाता है, तथा कुछ संस्थानों में आई0आर0एफ0 एवं एच0आर0एफ0 की व्यवस्था लागू है। यही व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

4- विषयगत योजना से प्राप्त धनराशि के कुछ प्रतिशत का व्यय निम्न मदों में किया जायेगा:-

4.1- इस योजना से सम्बन्धित अतिरिक्त कम्प्यूटर आपरेटर/कर्मचारियों आदि का वेतन दिया जाना एवं अन्य कैपिटल रेकरिंग एवं अनुरक्षण पर व्यय किया जाय।

4.2- उपरोक्त कर्मचारियों के अवकाश आदि की व्यवस्था दीनदयाल मित्र की भॉति होगा।

5- अस्पताल लेखा प्रकोष्ठ द्वारा निम्न कार्यवाही की जायेगी-

5.1- कैशबुक बनाना

5.2- कैशबुक में समस्त लेनदेन का अंकन किया जायेगा।

5.3- कैशबुक का मासिक सत्यापन मेडिकल कालेजों/चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्वालयों के प्रमुख से कराया जायेगा।

5.4- योजना के अन्तर्गत प्रत्येक माह के अन्त में व्यय की गई धनराशि का समायोजन मेडिकल कालेजों/चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्वालयों द्वारा अपने आई0आर0एफ0 एवं एच0आर0एफ0 एवं अन्य मद में प्रचलित मानको के अनुसार किया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5.5- योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि व्यय होने पर निम्न प्रारूप उपभोग की सूचना निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा को प्रेषित करते हुए आग्रिम धनराशि की मांग की जायेगी।

-उपयोगिता प्रमाण-पत्र का प्रारूप-

क्र 0 सं0	कर्मचारी अधिकारी का नाम	स्टेट हेल्थ कार्ड न 0	रजिस्ट्रेशन न0	उपचार का नाम	जॉच	औषधि	अन्य व्यय	कुल

5.6- मेडिकल कालेजों/चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्वालयों द्वारा उपरोक्त प्रारूप के अनुसार मरीजों का विवरण तथा उपचार संबंधी समस्त अभिलेखों को अस्पताल लेखा के द्वारा संरक्षित किया जायेगा।

6- उपचार हेतु यदि सामग्री/औषधियों/इम्पलांट का क्रय बाजार से किया जाता है तो भण्डार क्रय नियम का पालन किया जायेगा।

7- मेडिकल कालेजों/चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्वालयों द्वारा प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कैशलेस चिकित्सा योजना पर व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों का रख-रखाव अस्पताल लेखा द्वारा किया जायेगा तथा उसके आडिट की जिम्मेदारी संबंधित अस्पताल लेखा की होगी।

4- योजना से संबंधित हर दस्तावेज में स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि यह योजना अन्तः रोगी के लिए ही लागू है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाय कि रोगी के अस्तपाल में भर्ती हेाने के पूर्व का समस्त व्यय रोगी के द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा, जिसकी प्रतिपूर्ति वर्तमान में प्रचलित नियमावलियों के तहत की जायेगी।

5- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कर्मचारियों तथा पेंशनर्स को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए पं0 दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना को लागू किये जाने के संबंध में उपर्युक्तानुसार दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा शक्ति नागपाल)
विशेष सचिव।

संख्या-उपरोक्त, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, साचीज, लखनऊ।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।